तारीख हुक्म	उषाकंवर वगैरह V/s श्रीमति गट्टू वगैरह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
24.03.2025	पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा फेहरिस्त के साथ न्यायालय उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 38/2024 अनवान गट्टूकंवर वगैरह बनाम उषाकंवर वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 10.01.2025 की प्रति प्रस्तुत की। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत अपील जोकि धारा 225 आर.टी.एक्ट उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 44/2024 गट्टूकंवर बनाम उषाकंवर वगैरह अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। उक्त प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल वाद का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 10.01.2025 द्वारा निर्णित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील चलने योग्य नहीं रही हैं। अतः हस्तगत अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।	

Scanned with OKEN Scanner